

पंजीकृत/ईमेल

कार्यालय निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या: ५८११/स्पान/३६ ए(१) प्रकी, दि०: १३.११.२०

शासन के पत्रांक-१८२३/३७-१-२०२०, दिनांक ११ नवम्बर २०२० की पृष्ठांकन प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- १- निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- २- समस्त अपर निदेशक (ग्रेड-१), पशुपालन विभाग, उ०प्र०।
- ३- समस्त अपर निदेशक (ग्रेड-२), पशुपालन विभाग, उ०प्र०।
- ४- अपर निदेशक (ग्रेड-२), पशु जैविक औषधि संस्थान, बादशाहबाग, लखनऊ।
- ५- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ०प्र० पशुधन विकास परिषद, बादशाहबाग, लखनऊ।
- ६- अध्यक्ष/रजिस्ट्रार/संयुक्त निदेशक, उ०प्र० पशु चिकित्सा परिषद, लखनऊ।
- ७- समस्त संयुक्त निदेशक (गायना०/पैथा०), पशुपालन विभाग, उ०प्र०।
- ८- समस्त संयुक्त निदेशक, डी०एफ०एस०, पशुपालन विभाग, उ०प्र०।
- ९- समस्त संयुक्त निदेशक (तरल नत्रजन), पशुपालन विभाग, उ०प्र०।
- १०- संयुक्त निदेशक, कुक्कुट प्रशिक्षण केन्द्र, निबलेट, बाराबंकी (चकगजरिया)।
- ११- संयुक्त निदेशक, भदावरी भैस एवं जमुनापारी बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, इटावा।
- १२- संयुक्त निदेशक, सघन भेड़ एवं ऊन विकास प्रायोजना, मीरजापुर।
- १३- संयुक्त निदेशक, वृहद भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, भैसौड़ा, नौगढ़, चन्दौली।
- १४- संयुक्त निदेशक, सूकर रोग नियंत्रण, अलीगढ़।
- १५- संयुक्त निदेशक (न्यूट्रीशियन), आहार परीक्षण प्रयोगशाला, बादशाहबाग, लखनऊ।
- १६- संयुक्त निदेशक, फौरेन्सिक लैब, मथुरा।
- १७- संयुक्त निदेशक, सीमन माइक्रोबायोलॉजिस्ट, मंझरा, खीरी।
- १८- संयुक्त निदेशक, पशुधन प्रसार अधिकारी प्रशिक्षण केन्द्र, महानगर, लखनऊ।
- १९- समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, उ०प्र०।
- २०- प्रधानाचार्य, आदर्श प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र, बी०के०टी०, लखनऊ।
- २१- सचिव/अध्यक्ष, गो सेवा आयोग, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
- २२- उप निदेशक (प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, महानगर, लखनऊ।
- २३- श्री नवीन कुमार गुप्ता, कम्प्यूटर सुपरवाइजर को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त पत्र विभागीय वेबसाइट में अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- २४- उप सचिव, पशुधन अनुभाग-१, उ०प्र० शासन को शासन के पत्रांक-१८२३/३७-१-२०२०, दिनांक ११ नवम्बर २०२० के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

(डा० यू० पी० सिंह)

निदेशक

प्रशासन एवं विकास

प्रेषक,

मंजू लता,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक, प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग,
उ०प्र०, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 11 नवम्बर, 2020

विषय: जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना के लक्ष्यों की प्रगति हेतु उ०प्र० पशु चिकित्सा संवर्ग श्रेणी-1 व 2 के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय चरित्र प्रविष्टि के बिन्दु-8य (नवीन प्रारूप के बिन्दु-6) के अभ्युक्ति के संबंध में।

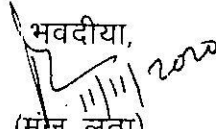
महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-299/स्था०-1/36ए(1)/प्रवि०, दिनांक 28.05.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना का सफल कार्यान्वयन विभाग के अधिकारियों के अतिरिक्त पशुपालक/कृषक के अतिरिक्त चिन्हित बीमा कम्पनी एवं कार्य कर रही इण्टरमीडियरी फर्म के सहयोग द्वारा संभव हो पाता है। इण्टरमीडियरी फर्म के प्रतिनिधियों का ससमय जनपद में उपलब्ध होना, समय-समय पर जनपद में उचित सलाह, प्रीमियम अंशदान की उपलब्धता के आधार पर बीमा पालिसी जारी करना भी इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु आवश्यक है।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पशुचिकित्सा संवर्ग के श्रेणी-1 एवं 2 के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय चरित्र प्रविष्टि के बिन्दु-8य (नवीन प्रारूप के बिन्दु-6) को यथावत बनाये रखे जाने का निर्णय लिया गया है, किन्तु उक्त बिन्दु के संबंध में अंकित प्रतिकूल अंशों को व्यवहारिक कठिनाईयों के दृष्टिगत प्रतिकूल नहीं समझा जायेगा।

कृपया तदनुसार अवगत होते हुये आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(मंजू लता)
विशेष सचिव।

संख्या- (1)/37-1-2020 तददिनांक

प्रतिलिपि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ०प्र० पशुधन विकास परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(डा० प्रहलाद बरनवाल)
उप सचिव।